



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]
No. 382]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 1999/श्रावण 1, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1999/SRAVANA 1, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1999

(आयकर)

सा.का.नि. 548 (अ).—केंद्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1993 का 10) की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 के नियम 4 के उपनियम (2) में "240 दिन" अंक और शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"ऐसी छुट्टी के नकदीकरण के लिए अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के अधीन विहित अधिकतम अवधि।"

[फा. सं. 150113(31)99-एच. आर.]

राकेश हूजा, संयुक्त सचिव (के. II/एच. आर.)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 760 अ तारीख 23-12-93 को प्रकाशित हुए तदुपरान्त सा.का.नि. सं. 8(अ) तारीख 7-1-94 द्वारा संशोधित हुए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 1999

G.S.R. 548(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 1993, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the National Human Rights Commission ^{and} Chairperson & Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In rule 4 of the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 1993, in sub-rule (2), for the numbers and words "240 days" the following shall be substituted, namely -

"the maximum period prescribed for encashment of such leave under the All India Service (Leave) Rules, 1955."

[F. No. 150113/31/99-HR]

RAKESH HOOJA, Jt. Secy. (K. II/HR)

Foot Note : The principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India vide GSR No. 760(E) dated 23-12-93 and subsequently amended vide GSR No. 8(E) dated 7-1-94.